‘मातृ एवं बाल स्वास्थ्य संरक्षण अभियान’

ब्लाक स्तरीय बैठक

परिचय:-

‘**स्वास्थ्य**’ सार्वभौमिक तथा आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं में से एक प्रमुख आवश्यकता है। किसी भी समाज की उन्नति का प्रतिलक्षण वहाँ रह रहे समुदाय के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, बीमारियों से होने वाली क्षति से बचाव के माध्यमों की उपलब्धता, असेवित व हाशए पर निवास कर रहे लोगों तक गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता से होता है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुदृण करने से तात्पर्य है- वर्तमान में केंद्रीत ‘बीमारियों के कारण’ पर से ध्यान का विस्तार बढ़ाते हुए उन कारणों का कारण ढूँढ़ने पर ज्यादा बल देना और रोकथाम हेतु उचित उपायों पर काम करना। समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता न केवल आर्थिक विकास में सहायक है।

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसँख्या वाला प्रेदश है। वर्ष 2012-13 में प्रदेश की मात् मृत्यु दर 258 प्रति लाख जीवित जन्म है और शिशु मृत्यु दर 50 प्रति हज़ार जीवित जन्म है। पिछले कुछ वर्षों में इन दरों में निरंतर गिरावट दर्ज की गयी है पर यह गिरावट अपक्षित से काफी कम है। इस दिशा में समुचित सुधार हेतु पिछले दशकों में स्वास्थ्य बजट में भी वृद्धि की गयी है पर अभी भी प्रदेश के स्वास्थ्य सेवायों के आच्छादन और गुडवता में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 15,000 जन्म, 800 शिशु मृत्यु और 55 मात् मृत्यु दर्ज की जाती है। प्रदेश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण से ग्रसित है। गर्भवती मातायों में कुपोषण और रक्ताल्पता की शिकायत बहुत ही आम है। प्रदेश की महिलायों में लगभग 70% महिलाएं खून की कमी की शिकायत से ग्रसित हैं। यह आकड़ें किसी भी प्रदेश के लिए अत्यंत चिंताजनक आकड़ें हैं।

यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि जिन कारणों से नवजात, शिशु और माताओं की मृत्यु हो रही है या वह कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उन में से कुछ कारणों को बहुत ही आसानी से समुदाय स्तर पर गर्भवती व धात्री माताओं, 0 से 5 वर्ष के बच्चों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य एवं पोषण सेवायों की गुड़वत्ता और उपलब्धता में सुधार कर दूर किया जा सकता है। इस कड़ी में ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन’ द्वारा स्वास्थ्य सेवायों में सुधार हेतु कई महवपूर्ण कदम उठाये गए हैं. साथ ही प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ‘राज्य पोषण मिशन’ की शुरुआत भी की गयी है।

माताओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य हेतु यह आवश्यक हैं कि उन्हें आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य और पोषण सम्बंधित सेवाएँ सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराई जाए, जैसे सभी गर्भवती महिलायों को प्रसव पूर्व आवश्यक गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उनके क्षेत्र में ही उपलब्ध कराना, सभी शिशुयों का समय समय पर स्वास्थ्य जांच और आवश्यक टीके, दवाइयां और संदर्भन की सेवाएँ उपलब्ध कराना। समुदाय में परिवार नियोजन एवं पोषण सम्बंधित सेवाएँ और जानकारी देना।

मातृ एवं बाल मृत्यु दर में कमी **लाने के लिए** इस दिशा में और अधिक सघन एवं एकीकृत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। **अतः** वर्ष 2015–16 को ''**मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष'' के रूप में** मनाये जाना प्रस्तावित है तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को इस आशय की औपचारिक घोषणा की जानी प्रस्तावित है।

इसके पूर्व चरणबद्ध तैयारियों के अंतर्गत 'मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सुधार हेतु तीन महीने का **''मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संरक्षण अभियान''** राज्य स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में 'उ.प्र. तकनीकी सहयोग इकाई' के सहयोग से चलाए जाने का निर्णय किया गया है।

बैठक के उदेश्य:

इस बैठक के मुख्यतः दो उदेश्य हैं-

I. 'मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष'' **और** ''मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संरक्षण अभियान'' **के** उददेशय_और **महत्वपूर्ण घटकों को समझना**

II. इन कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु ब्लाक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिकाएं और उनसे अपेक्षाएं।

I. <u>अभियान का उददेशय</u>

तीन माह तक चलने वाले इस व्यापक अभियान के चार प्रमुख उद्देश्य होंगे–

- पूर्ण टीकाकरण आच्छादन में वृद्धि (0–2 वर्ष के शिशु)
- संस्थागत प्रसवों में वृद्धि
- आधुनिक परिवार नियोजन सेवाओं के आच्छादन एवं प्रयोग में वृद्धि
- बाल कुपोषण में कमी हेतु पाँच वर्ष से कम के बच्चों का वजन तथा लंबाई की माप तथा कुपोषित बच्चों का उचित संदर्भन एवं प्रबन्धन

<u>अभियान के मुख्य घटक:-</u>

अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह अभियान पाँच मुख्य घटकों पर केन्द्रित होगा**-**

1. 'स्वास्थ्य **एवं** पोषण दिवस' का सुदृढ़ीकरण-

समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य व पोषण संबंधी सेवाएँ 'स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस' के माध्यम से प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हर माह आयोजित होने वाला एक निश्चित दिवस है, जिसमें एक निश्चित क्षेत्र/गांव के लोगो को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित सेवाएं दी जाती है। **महिलायों और बच्चों में उत्तरजीविता को बढ़ाने हेतु इस मंच के माध्यम से गर्भवती एवं प्रसूता महिलायों, नवजात शिशुयों, किशोरी बालिकायों और योग्य दम्पतियों को आवश्यकतानुसार उनके**

क्षेत्र में हीं सेवाएँ प्रदान की जाती हैं. अभी तक 'स्वास्थ्य पोषण दिवस' केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होते थे। परन्तु अब शहरी क्षेत्रों में भी इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा।

2. 200 उच्च प्रसव भार वाली स्वास्थ्य इकाईयों की गुणवत्ता में सुधार
3. परिवार नियोजन सेवाओं में विस्तार
4. आशाओं का समय से भुगतान एवं सुदृढ़ीकरण
5. स्वास्थ्य सम्बंधित रिपोर्टिंग तंत्र का सुदृढ़ीकरण

II. इन कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु ब्लाक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिकाएं और उनसे अपेक्षाएं

अभियान को सफल बनाने हेतु आवश्यक है कि इसके महत्वपूर्ण घटकों पर सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा समुचित रूप से योजना बना कर क्रियान्वन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. **'स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस' का सुदृढ़ीकरण:-**

इस अभियान के तहत्, स्वास्थ्य पोषण दिवस का प्रभावी क्रियान्वन सुनिश्चित किये जाने के उदेश्य से निम्न गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है-

प्रभारीचिकित्साधिकारी की भूमिका:-

- शासनादेश तथा दिशा निर्देशों पर स्वास्थ्य कर्मियों (ए.एन.एम./ स्वास्थ्य पर्वेक्षेक महिला, पुरुष) का अभिमुखीकरण करना सुनिश्चित करना
- संशोधित रिपोर्टिंग फॉर्मेट पर स्वास्थ्य कर्मियों (ए.एन.एम./ स्वास्थ्य पर्वेक्षेक महिला, पुरुष) का अभिमुखीकरण करना सुनिश्चित करना
- आशा व ए.एन.एम. द्वारा लक्षित लाभार्थियों की सूची बनवाना सुनिश्चित करना
- कार्ययोजना के अनुसार सत्र आयोजित करने हेतु आवश्यक लॉजेस्टिक प्रबंधन सुनिश्चित करवाना
- ब्लाक में आयोजित किये जा रहे स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों का सहयोगात्मक पर्वेक्षण सुनिश्चित करवाना
- निश्चित समयावधि के अन्दर स्वास्थ्य एवं पोषण आख्या जिले को प्रेषित करवाना
- यह सुनिश्चित करना कि ब्लाक में स्वास्थ्य पोषण दिवस पर संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार -गर्भवती, प्रसूता महिलाओं, 0-1 वर्ष के बच्चों, 1-5 वर्ष के बच्चों, किशोरी बालिकाओं और योग्य दम्पतियों को आवश्यकतानुसार सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं
- स्वास्थ्य पोषण दिवस के सफल क्रियान्वन और समीक्षा हेतु ICDS विभाग और अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना
- अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों का आयोजन में सहयोग करना

बाल विकास परियोजना अधिकारी की भूमिका:-

- ब्लाक की सभी आगनवाडी कार्यकत्री और मुख्य सेविका का संशोधित दिशा निर्देशों पर अभिमुखीकरण सुनिश्चित करवाना
- ब्लाक में सभी आगनवाडी कार्यकत्री द्वारा 0-1 वर्ष और 1-5 वर्ष तक के लाभार्थी बच्चों की सूची बनवाना सुनिश्चित करना
- स्वास्थ्य पोषण दिवस पर पोषाहार वितरण सुनिश्चित करवाना
- यह सुनिश्चित करना कि आगनवाडी कार्यकत्री द्वारा सभी 0-5 वर्ष के बच्चों का सत्र के दौरान वजन ले कर अंकित करे
- स्वास्थ्य पोषण दिवस पर अति कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन और संदर्भन सुनिश्चित करवाना
- स्वास्थ्य पोषण दिवस के सफल क्रियान्वन और समीक्षा हेतु स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करना
- अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु दिशा निर्देश के अनुसार कार्य सुनिश्चित करवाना
- स्वास्थ्य पोषण दिवस सत्रों का सहयोगात्मक पर्वेक्षण सुनिश्चित करवाना

सहायक विकास अधिकारी पंचायत की भूमिका:-

- स्वास्थ्य पोषण दिवस के सफल क्रियान्वन हेतु ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करवाना
- अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करवाना
- स्वास्थ्य पोषण दिवस के सफल आयोजन हेतु ICDS और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना

2. उच्च प्रसव भार वाली स्वास्थ्य इकाईयों की गुणवत्ता में सुधार हेतु भूमिकाएं

इस अभियान के तहत्, उच्च प्रसव भार वाली स्वास्थ्य इकाईयों की गुणवत्ता में सुधार किये जाने के उदेश्य से निम्न गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है-

प्रभारीचिकित्साधिकारी की भूमिका:-

- चिकित्साधिकारी अपने ब्लाक में स्थित उच्च प्रसव वाली इकाईयों के कर्मचारियों का जिला स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों में भागीदारी हेतु नामित करना।
- प्रसव कक्षों में आपूर्तियों एवं प्रसव किट हेतु 'रोगी कल्याण समिति' से नियमानुसार समुचित धनराशि उपलब्ध कराना।
- संदर्भन व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

3. परिवार नियोजन कार्यक्रम आच्छादन में सुधार हेतु भूमिकाएं

मातृ स्वास्थ्य में सुधार और परिवर्तन लाने हेतु सकल प्रजनन दर में कमी लाना आवश्यक है. इस उदेश्य से परिवार नियोजन से सम्बंधित सेवाओं पर समुचित ध्यान देना अति आवश्यक है। अभियान अवधी में परिवार नियोजन से सम्बंधित गुड़वत्तापरक सेवाओं की पहुँच बढ़ाने हेतु व्यापक रूप से कार्य करना सुनिश्चित किया गया है।

प्रभारीचिकित्साधिकारी की भूमिका:-

- ए.एन.एम., आशा व अन्य कर्मचारियों द्वारा ब्लाक के ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना जहाँ समुदाय में परिवार नियोजन के साधनों की मांग व आवश्यकता है पर उन तक परिवार नियोजन की सेवाओं की पहुँच नही बन पायी है।
- चिन्हित क्षेत्रों में ए.एन.एम. व आशा द्वारा परिवार नियोजन के साधनों की पहुँच बनाने हेतु रणनीति तैयार करना और क्रियान्वन सुनिश्चित करना।
- दूरस्थ व असेवित क्षेत्रों तक नसबंदी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित किये जाने हेतु इन क्षेत्रों के लिए नसबंदी शिविरों के कैलेण्डर विकसित करना।
- सेवाकेन्द्रों पर गर्भनिरोधक सामग्री का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना. अन्तराल विधियों की पहुँच समुदाय तक बढ़ाने हेतु ''आशा'' कार्यकत्रियों के माध्यम से गर्भनिरोधक सामाग्रियों को लाभार्थियों के द्वार तक वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।
- आशा/ए.एन.एम. के माध्यम से क्रमशः ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका (वी.एच.आई.आर.) व लक्ष्य दम्पति रजिस्टर (ई.सी.आर.) को नियमित रूप से अद्युनांत किया जाना।

4. हेल्थ मैनेजमेण्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम व मदर एंड चाईल ट्रैकिंग सिस्टम (HMIS/MCTS) का सुदृढ़ीकरण में हेतु भूमिकाएं

स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों को समय पर और उचित प्रकार से अभिलिखिकरण भी आवश्यक है। इस उदेश्य से वर्त्तमान में संचालित हेल्थ मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम (HMIS) व्यवस्था में व्यापक सुधार करना भी इस अभियान के प्रमुख उदेश्यों में से एक है।

प्रभारीचिकित्साधिकारी की भूमिका:-

- ब्लाक स्तर पर विभाग के कार्यक्रम की समीक्षा एच.एम.आई.एस. आंकड़ों, बुलेटिन एवं डैशबोर्ड संकेतकों के आधार किया जाना है।
- एच.एम.आई.एस. प्रपत्र में सूचना को सही प्रकार से भरे जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कर 'एच. एम.आई.एस. एवं एम.सी.टी.एस. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण चेकलिस्ट' के माध्यम से किया जाना एवं इसके आधार पर प्राप्त कमियों को ठीक कराया जाए ताकि एच.एम.आई.एस. एवं एम. सी.टी.एस. पोर्टल पर प्रदर्शित आंकड़ों एवं सूचना की गुणवत्ता संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चत किया जा सके।

5. <u>आशा भुगतान तंत्र सुदृढ़ीकरण</u>

स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को समुदाय स्तर पर सफलता पूर्वक करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आशा पर होती है। आशा को अपने कार्यों को सफलता पूर्वक निर्वाहन करने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस राशि को ससमय निर्गत कराने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारीचिकित्साधिकारी की है। इस अभियान के तहत प्रभारी-चिकित्साधिकारियों को सुनिश्चित कराना है कि उनके ब्लाक की सभी आशाओं को दिसम्बर 2014 तक की लम्बित राशि 15 फरवरी तक अनिवार्यतः निर्गत करायी जाए।

- दिसंबर, 2014 तक के लंबित भुगतानों के निस्तारण हेतु ब्लाक स्तरीय विशेष कैम्पों का आयोजन **किया जाना सुनिश्चित किया जाए** जिसमें समस्त आशाएं वाउचर एवं कार्य सत्यापन हेतु आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित होंगी।
- उनके कार्य सत्यापन, वाउचर जांच व सत्यापन एवं स्वीकृति से सम्बंधित समस्त कर्मचारियों व अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति, आशा भुगतान से संबंधित समस्त अभिलेखों की उपलब्धता सहित सुनिश्चित **किया जाए।**
- आशा को वाउचर भरने, सत्यापन में आने वाली छोटी–छोटी समस्याओं का तात्कालिक समाधान किया जाए ।
- इन ब्लाक स्तरीय कैम्पों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नोडल अधिकारियों (अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी) को उत्तरदायी बनाया जाए ।
- दिसंबर, 2014 तक के भुगतानों का निस्तारण इन कैम्पों के माध्यम से करने के पश्चात इस कार्य को आशाओं की ब्लाक स्तरीय मासिक क्लस्टर बैठकों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए